

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक


जोसेफ मुण्डा वगैरह

बनाम अन्द्रियास मुण्डा वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...118.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी ...तमाड़... के अप्राथमिकी सं०-37/17 दिनांक-28/08/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि जमीन विवाद की लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 22/09/17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित / प्रथम पक्ष उपरिष्ठ द्वितीय पक्ष क्रमांक 03, 04, 06 07, 08 उपरिष्ठ क्रमांक 01, 02, 05 अनुपस्थापित दिनांक 13-10-17 को 22वें।</p>	

22-09-17

22/9/17

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
19-03-18	<p>पीठाधीन पदाधिकारी नगर पंचायत चुनार अर्द्ध में व्यक्त। दिनांक 06-04-18 को रखें।</p>
<del>27-04-18</del> 06-04-18	<p>पीठाधीन पदाधिकारी नगर पंचायत चुनार अर्द्ध में व्यक्त। दिनांक 27-04-18 को रखें।</p>
27-04-18	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पल क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी द्वितीय पल क्रमांक 05 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूरी हो चुकी है। अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">           27/4/18       </p>